N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0132 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/07/2024 19:49 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 28/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 02/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:14 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/07/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/07/2024 19:49:15 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 45 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABL

(b) **Address(पता):** JALUKI ROAD, MANISH ARORA KI CEMENT KI DUKAN, LAXMANGARH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** HASAN MOHAMMAD

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ROOJDAR KHAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1998 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DOULATPURA, LAXMANGARH, LAXMANGARH(ALWAR), ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DOULATPURA, LAXMANGARH, LAXMANGARH(ALWAR), ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MURARI LAL		पिता:ANGADRAM	1. RAMPURA,RAINI,RAINI,ALWAR,
2	MANGAL KHAN		पिता:DEENA KHAN	1. JAMALPUR,LAXMANGARH,AL

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		40,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, If necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

वाक्यात इस प्रकार है कि दिनांक 28.06.2024 को कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर पर श्री हसन मोहम्मद पुत्र श्री रूजदार खॉ, जाति मेव, उम्र 26 साल, निवासी दौलतपुरा, तहसील व थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर ने उपस्थित होकर मन उप अधीक्षक पुलिस महेन्द्र कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की थी, कि " सेवामें, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक ACBअलवर विषय- पुलिस थाना लक्ष्मणगढ के भ्रष्ट हैड कानस्टेबल को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने के क्रम में। महोदय, निवेदन है कि हमारे परिवार के साथ मे हमारे पडोसी रहमुदीन व उसके परविर के साथ दिनांक 16/6/2024 को झगडा होने पर रहमुदीन द्वारा पुलिस थाना लक्ष्मणगढ में हमारे खिलाफ मु.नं. 239/24 दर्ज करवा दिया इस मुकदमें की जांच श्री मुरारी लाल हैड साहब द्वारा की जा रही है मुरारी लाल द्वारा बार बार फोन कर धमकी दे रहा है कि तुम आकर मुझसे मिलो में दिनांक 20/6/24 को मुरारी लाल से मिला तो उसने मुझे धमकी दी कि तुम्हारे केस मे धारा 307 लगेगी और सब का चालान करूंगा यदि तुम लोगो को जेल नही जाना है तो मुझे एक लाख रूपये दो नही तो जेल मे सडते रहोगे तुमने एक लाख रूपये नही दिये तो केस मे 307 धारा जोड दुंगा। श्री मुरारी लाल मुझे धमकी देकर एक लाख रूपये रिश्वत के मांग रहा है मे उसे रिश्वत नही देना चाहता उसे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हॅू कृप्या कानुनी कार्यवाई करे प्रार्थी हस्ता/- हसन मोहम्मद पुत्र रूजदार खॉ जाति मेव उम्र 26 साल, निवासी दोलतपुरा लक्ष्मणगढ मो " कार्यवाही पुलिस दिनांक 28.06.2024 को समय 11.30 ए0एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस, महेन्द्र कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर के समक्ष ब्यूरों कार्यालय अलवर में परिवादी हसन मोहम्मद पुत्र श्री रूजदार खॉ, जाति मेव, उम्र 26 साल, निवासी दोलतपुरा, तहसील व थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर ने उपस्थित होकर परिवादी हसन मोहम्मद द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया गया। जिसका मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अवलोकन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी हसन मोहम्मद को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी श्री हसन मोहम्मद से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री हसन मोहम्मद ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि हमारे परिवार के साथ में हमारे पडौसी रहमुद्दीन व उसके परिवार के साथ दिनांक 16.06.2024 को आपस में झगडा होने पर रहमुद्दीन द्वारा पुलिस थाना लक्ष्मणगढ में हमारे खिलाफ मुकदमा नं0 239/2024 दर्ज करवा दिया। इस मुकदमें की जॉच श्री मुरारी लाल हैड साहब द्वारा की जा रही है। मुरारी लाल हैड साहब मुझे बार-बार फोन कर धमकी दे रहा है कि तुम आकर मुझसे मिलो। मैं दिनांक 20.06.2024 को श्री मुरारी लाल से मिला तो उसने मुझे धमकी दी कि तुम्हारे केस में धारा 307 लगेगी और सब का चालान करूंगा। यदि तुम लोगों को जेल नही जाना है तो मुझे एक लाख रूपये दो, नही तो जेल में सडते रहोंगे। तुमने एक लाख रूपये नही दिये तो केस में धारा 307 जोड दूंगा। श्री मुरारी लाल हैड साहब पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर मुझे धमकी देकर एक लाख रूपये रिश्वत के मांग रहा है। मैं उसे रिश्वत नही देना चाहता हॅू तथा उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हॅू। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी, श्री मुरारी लाल हैड साहब पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर से कोई रंजिश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन-देन भी बकाया नही है। परिवादी श्री हसन मोहम्मद ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। दौराने पूछताछ परिवादी श्री हसन मोहम्मद द्वारा अपनी पहचान स्वरूप पेश किये गये अपने आधार कार्ड की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति को बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाने पर समय 12.15 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की अलमारी से श्री महेश कुमार कानि0 462 से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी श्री हसन मोहम्मद को चलाने व बन्द करने की विधि समझाकर परिवादी के समक्ष श्री महेश कुमार कानि0 462 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी श्री हसन मोहम्मद एवं श्री महेश कुमार कानि. 462 को आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु समय 12.30 पी0एम0 पर उक्त दोनो को पुलिस थाना लक्ष्ण्मगढ पर जाने हेतु रवाना किया गया था। समय 05.00 पी0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह गया हुआ श्री महेश कुमार कानि0 462 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये वॉटसअप कॉल कर अवगत करवाया कि परिवादी श्री हसन मोहम्मद, संदिग्ध आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 से पुलिस थाना लक्ष्मणगढ में

जाकर मिला और उससे अपने केस के बारे में बातचीत की तथा संदिग्ध आरोपी ने अपने दलाल श्री मंगल खॉ, निवासी जमालपुर को कल साथ लेकर आने के लिये कहा है। परिवादी ने संदिग्ध आरोपी से हुई सभी बातों को ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। कानि0 द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के अनुसार मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री महेश कुमार कानि0 462 को निर्देशित किया कि वह परिवादी के साथ लक्ष्मणगढ ही रहकर संदिग्ध आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 एवं उसके दलाल श्री मंगल खॉ से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर, परिवादी को हमराह लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आवे। दिनांक 29.06.2024 को समय 10.00 पी0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह गया हुआ श्री महेश कुमार कानि0 462 ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 ने रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत कर बताया कि मैं व परिवादी हसन मोहम्मद आपके निर्देशानुसार कल दिनांक 28.06.2024 को ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ के नजदीक पहुंचे, जहां पर मैंने समय करीब 02.23 पी0एम0 पर ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चॉलू कर परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 के पास पुलिस थाना लक्ष्मणगढ पर भेजा। समय करीब एक घण्टा उपरान्त परिवादी श्री हसन मोहम्मद पुलिस थाना लक्ष्मणगढ से बाहर निकलकर मेरे पास आया और अपने पास से ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकार्डर निकालकर मुझे सुपुर्द किया, जिसको मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। परिवादी श्री हसन मोहम्मद ने मुझे बताया था कि उसकी संदिग्ध आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 से उनके मुकदमें के सम्बन्ध में बातचीत हुई है किन्तु श्री मुरारी लाल हैड कानि0 ने मुझे किसी जिम्मेदार व्यक्ति को साथ लेकर आने के लिये कहा तथा उसने अपने दलाल श्री मंगल खॉ निवासी जमालपुर के मोबाईल नं0 मुझे देकर उसको साथ लाने के लिये कहा है। परिवादी ने मुझे यह भी बताया कि मेरे व श्री मुरारीलाल हैड कानि0 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ के मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैंने डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया। परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्य मैंने कल ही आपको जरिये वॉटसअप कॉल आपको अवगत करवा दिया था। तत्पश्चात निर्देशानुसार मैं कल दिनांक 28.06.2024 को वही पर रात्रि मुकिम रहा तथा आज दिनांक 29.06.2024 को संदिग्ध आरोपी मुरारीलाल हैड कानि0, परिवादी व दलाल श्री मंगल खॉ के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात समय 03.47 पी0एम0 पर मैंने लक्ष्मणगढ में ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्ड चालू कर परिवादी श्री हसन मोहम्मद को सुपुर्द कर परिवादी श्री हसन मोहम्मद को दलाल श्री मंगल खॉ के पास गॉव जमालपुर भिजवाया। तत्पश्चात समय करीब 2 घण्टे बाद 05.47 पी0एम0 पर परिवादी मेरे पास आया और अपने पास से ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू हालत में निकालकर मुझे सुपुर्द किया, जिसको मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद परिवादी ने मुझे बताया कि मैं आपसे डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर मेरी मोटर साईकिल से दलाल श्री मंगल खॉ के घर पर गॉव जमालपुर गया, जहा पर मुझे श्री मंगल खा मौजूद मिला, जिसको मैं अपने साथ लेकर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ पर श्री मुरारीलाल हैड कानि0 के पास गया और मैंने थाने पर श्री मुरारीलाल हैड कानि0 व उसके दलाल श्री मंगल खॉ से मेरे मुकदमें के बारे में बातचीत की तो श्री मुरारीलाल हैड कानि0 व दलाल श्री मंगल खॉ ने हमारे मुकदमें में मुल्जिमों के नाम निकालने की एवंज में एक पेटी (एक लाख) रूपये रिश्वत की मांग की। परिवादी ने मुझे यह भी बताया कि मेरे व श्री मुरारीलाल हैड कानि0 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ एवं उसके दलाल श्री मंगल खा निवासी जमालपुर के मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैंने डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। परिवादी ने यह भी बताया कि उसके पास रिश्वत में दी जाने वाली राशी एक लाख रू0 की अभी व्यवस्था नही है तथा उसको गॉव ही रूककर रिश्वत राशी की व्यवस्था करनी है। इसलिए वह अलवर नही चल सकता। परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्य मैंने आपको जरिये वॉटसअप कॉल आपको अवगत करवा दिया था तथा मैं निर्देशानुसार परिवादी को रिश्वत राशी की व्यवस्था कर अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु अवगत करवाकर लक्ष्मणगढ ही छोडकर रवाना होकर मय रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड सहित ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो उक्त तथ्यों की ताईद हुई तथा संदिग्ध आरोपी श्री मुरारीलाल हैड कानि0 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ एवं उसके दलाल मंगल खॉ द्वारा परिवादी से एक लाख रू0 रिश्वत की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को अपने पास कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा गया। अग्रिम कार्यवाही परिवादी के उपस्थित आने पर दो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष की जावेगी। दिनांक 02.07.2024 को 09.00 ए0एम0 पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री हसन मोहम्मद, मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया तथा परिवादी श्री हसन मोहम्मद ने बताया कि उसके पास संदिग्ध आरोपी श्री मुरारी लाल, हैड कानि0, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर एवं उसके दलाल श्री मंगल खॉ को रिश्वत में दी जाने वाली राशी एक लाख रू0 की व्यवस्था न होकर 40 हजार रू0 की ही व्यवस्था हो पाई है और वह आरोपीगण को 40 हजार रू0 ही रिश्वत के देकर शेष राशी की व्यवस्था नही होने तथा व्यवस्था होने पर बाद में देने के लिये आरोपीगण से कहेगा तथा परिवादी ने 40 हजार रू0 अपने साथ लेकर आना बताया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह गये श्री महेश कुमार कानि0 462 द्वारा दिनांक 29.06.2024 को वापसी पर बताये गये रिश्वत मांग के समस्त तथ्यों से परिवादी श्री हसन मोहम्मद को अवगत करवाया

जाकर अवलोकन करवाया गया तो परिवादी श्री हसन मोहम्मद ने रिश्वत मांग सत्यापन के समस्त तथ्यों की ताईद किया तथा दिनांक 29.06.2024 को वापसी पर श्री महेश कुमार कानि0 462 द्वारा बताये गये रिश्वत मांग के उक्त तथ्यों पर अपने हस्ताक्षर किये। परिवादी को कार्यालय में बैठाया जाकर समय 09.20 ए0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने ब्यूरों की गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाह श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सहायक एवं श्री लोकेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक, वृत्त-स, वाणिज्यिक, कर विभाग, अलवर अविलम्ब ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने हेतु जरिये दूरभाष अवगत करवाया गया। तत्पश्चात समय 09.45 ए0एम0 पर पाबन्दषुदा गवाहान श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सहायक, वृत्त-स, वाणिज्यिक, कर विभाग, अलवर एवं श्री लोकेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक, वृत्त-स, वाणिज्यिक, कर विभाग, अलवर, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। उक्त दोनों गवाहान का आपसी परिचय कार्यालय में पूर्व से मौजूद परिवादी श्री हसन मोहम्मद से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री हसन मोहम्मद द्वारा दिनांक 28.06.2024 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री हसन मोहम्मद द्वारा ब्यूरो में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद समय 10.00 ए0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाह श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सहायक एवं श्री लोकेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री हसन मोहम्मद की उपस्थिति में परिवादी श्री हसन मोहम्मद तथा संदिग्ध आरोपी श्री मुरारीलाल हैड कानि0 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर एवं श्री मंगल खॉ दलाल के मध्य दिनांक 28.06.2024 एवं 29.06.2024 को रिश्वती मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मैक सोनी कम्पनी को कार्यालय की आलमारी के लॉक से बाहर निकालकर उसे चालू कर दोनों गवाहान को रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं में रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ताओं के मुख्य अंश सुनाये गये, जिसमें आरोपी श्री मुरारीलाल हैड कानि0 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर एवं श्री मंगल खॉ दलाल द्वारा परिवादी से एक पेटी (एक लाख) रू0 रिश्वत की मांग करना पाया गया। चूंकि संदिग्ध आरोपी ने परिवादी को रिश्वत की राशी लेकर आज ही बुलाया है इसलिये संदिग्ध आरोपीगण के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही शीघ्र की जानी है तथा रिश्वत मांग सत्यापन के समय की उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करने में समय अधिक लगेगा। अतः समय अभाव के कारण रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं की अभी ट्रांस्क्रिप्ट तैयार नही की जा सकती। इसलिए रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अपने कब्जे में लिया गया। उक्त की ट्रेप कार्यवाही के दौरान बाद में ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया जाकर समय 11.50 ए0एम0 पर गवाह श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सहायक एवं श्री लोकेश वर्मा, वरिष्ठ सहायक के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को सिंदग्ध आरोपी श्री मुरारीलाल हैड कानि0 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी श्री हसन मोहम्मद ने अपने पास से 80 नोट 500-500 रूपये के कुल 40,000/-रूपये निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर को पेश किये। उक्त नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर उक्त नोटों के नम्बर मन् उप अधीक्षक पुलिस एवं उपरोक्त गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटां के नम्बरों का मिलान सही होना पाया गया। श्री रामसिंह कानि0 549 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 40,000/-रूपये के नोटो को रखकर उक्त नोटों पर श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री हसन मोहम्मद की जामा तलाशी गवाह श्री मनोज कुमार से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 40,000/- रूपये श्री रामसिंह कानि0 549 से परिवादी श्री हसन मोहम्मद की पहनी हुई जिन्स पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में रखवाये गये। श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात एक फ्रेष डिस्पोजल गिलास में श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री रामसिंह कानि0 549 की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री हसन मोहम्मद व दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटां को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को अपने हाथो से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री हसन मोहम्मद को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें। तत्पश्चात श्री रामसिंह कानि0

549 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेपबाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी हसन मोहम्मद को रिश्वत राशी लेन-देन के समय आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 28.06.2024 व 29.06.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी श्री हसन मोहम्मद की शर्ट की सामने की बांयी जेब में रखकर सुपुर्द किया गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 को आवष्यक हिदायत दी गई कि उक्त परिवादी को रिश्वत राशी सहित आरोपी के पास भिजवाते समय उसको ब्यूरों के उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू करके ही रवाना करे। तत्पश्चात समय 01.30 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोज कुमार व श्री लोकेश कुमार वर्मा एवं ए0सी0बी0 जाप्ता सर्वश्री श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, भास्कर हैड कानि0 59, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री रामजीत कानि0 206, हरिष चन्द शर्मा कानि0 503 एवं श्रीमती सुनिता महिला हैड कानि0 148, श्री इन्द्रजीत कानि0 चालक 333 मय विभागीय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप मय प्रिन्टर व आवष्यक स्टेषनरी सामान के एक सरकारी वाहन बोलेरो व एक प्राईवेट वाहन के तथा परिवादी श्री हसन मोहम्मद व श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी की मोटर साईकिल से हमराह लेकर वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब लक्ष्मणगढ के लिये रवाना हुआ तथा श्री रामसिंह कानि0 549 को कार्यालय में ही छोड़ा गया। दिनांक 02.07.2024 को समय 03.30 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा कस्बा लक्ष्मणगढ में जालूकी रोड पर कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर डिसकॉम लक्ष्मणगढ के पास पहुंचा, जहाँ पर तीनों वाहनों का साईड में रूकवाकर संदिग्ध आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 की लोकेशन जानने हेतु परिवादी को कॉल करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने दोनों गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि अलवर से रवाना होकर लक्ष्मणगढ आ रहे थे तब मेरे पास संदिग्ध आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 के मोबाईल नं0 से मेरे मोबाईल पर मिस कॉल आया, जिसके बारे में मैंने श्री महेश कुमार कानि0 को बताया, तो श्री महेश कुमार कानि0 ने शीतल, बडोदामेव से समय 02.26 पी0एम0 पर मेरे मोबाईल नं0 से संदिग्ध आरोपी श्री मुरारीलाल हैड कानि0 के मोबाईल नं0 पर कॉल करवाकर मेरी वार्ता करवाई तो मुरारी लाल हैड कानि0 ने मेरे से पूछा कि कहा पर है तो मैंने कहा कि मैं कही साईड में गया हुआ हूँ और करीब 1-1.5 घण्टे में आपके पास आ जाउंगा। उक्त मोबाईल वार्तालाप को मैंने मोबाईल का स्पीकर ऑन कर ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने समय 03.36 पी0एम0 पर परिवादी के मोबाईल नं0 से संदिग्ध आरोपी श्री मुरारीलाल हैड कानि0 के मोबाईल नं0 पर कॉल करवाकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी की वार्ता करवाई गई तो संदिग्ध आरोपी ने आधा घण्टा में जालूकी रोड लक्ष्मणगढ पर स्थित मनीष अरोडा की सीमेंट की दुकान पर परिवादी के पास आने के लिये कहा । उक्त मोबाईल वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाई गई तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी के संदिग्ध आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ के आने के इन्तजार में ट्रेप पार्टी की पहचान छुपाते हुये मुकीम हुआ। तत्पश्चात समय 03.59 पी0एम0 पर परिवादी के मोबाईल नं0 पर संदिग्ध आरोपी श्री मुरारीलाल हैड कानि0 के मोबाईल नं0 से कॉल आया, जिस परिवादी ने रिसीव करने से पूर्व मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया, जिस पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई गई तो संदिग्ध आरोपी श्री मुरारीलाल हैड कानि0 ने उक्त सीमेंट की दुकान पर आने के लिये परिवादी को कहा। उक्त मोबाईल वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। इसके बाद मन उप अधीक्षक पुलिस ने सभी को वाहनों से उतार कर समय 04.01 पी0एम0 पर श्री महेश कुमार कानि0 462 से परिवादी श्री हसन मोहम्मद का टेपरिकॉर्डर चालू करवाकर परिवादी श्री हसन मोहम्मद को उसकी मोटर साईकिल से संदिग्ध आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 के पास मनीष आरोडा की अल्ट्राटेक सीमेंट की दुकान के लिये रवाना किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेपपार्टी सदस्यों के परिवादी के पीछे-पीछे परिवादी पर निगरानी रखते हुये जयपुर डिस्कॉम लक्ष्मणगढ के सामने पास ही स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट की दुकान के आप-पास मौका अनुसार अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईषारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। परिवादी उक्त सीमेंट की दुकान पर जाकर नीली जीन्स व काली शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति से मिला और बातचीत करने लग गया तथा उक्त व्यक्ति परिवादी को अपने साथ लेकर दुकान के अन्दर चला गया तथा करीब 12-13 मिनट बाद समय करीब 04.13 पी0एम0 पर परिवादी व उक्त व्यक्ति दुकान से निकलकर बाहर आये और उक्त व्यक्ति उक्त दुकान के सामने कुर्सी पर बैठ गया। दिनांक 02.07.2024 को समय 04.14 पी0एम0 पर परिवादी श्री हसन मोहम्मद पुत्र श्री रूजदार खां जाति मेव उम्र 28 साल निवासी गांव दोलतपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर ने कस्बा लक्ष्मणगढ मे जालूकी रोड पर बिजली पॉवर हाउस के सामने स्थित श्री मनीष अरोडा की अल्ट्रा ट्रेक सीमैंट की दुकान के बाहर आकर समय 4.14 पीएम पर अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया जिसको मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम के समस्त सदस्यो द्वारा देखा गया। परिवादी का उक्त निर्धारित ईशारा

प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास उपरोक्त अल्ट्राट्रेक सीमेंट की दुकान के पास पहूँचा तथा परिवादी डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर उसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। उक्त अल्ट्रा ट्रेक सीमैट की दुकान पर एक व्यक्ति दुकान की गैलैरी के छज्जे के निचे कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति जिसने काली शर्ट व नीले रंग की जीन्स पहन रखी थी जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया की ये ही श्री मुरारी लाल हैड साहब है जिन्होने अभी अभी मेरे से 40 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांग कर अपने दाहिने हाथ से ग्रहण कर उक्त राशि को बिना गिने ही अपनी पहनी हुई जीन्स की पैन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रख लिये है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के परिवादी के बताये अनुसार परिवादी को साथ लेकर उक्त दुकान पर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के पास पहुंचा एंव उक्त व्यक्ति को अपना एवं हमाराहियान का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया तो आरोपी कुछ नही बोला और घबराकर कुर्सी खडा होकर भागने का प्रयास करते हुये अपनी पहनी जीन्स पैन्ट की दाहिनी जेब मे रखी हुई रिश्वत राशी को निकालकर गैलेरी के आगे छज्जे के नीचे की फर्स पर 500-500 रूपये के कुछ नोट गिरा दिये आरोपी को मय स्टाफ के घेरा डालकर पकडकर तथा फिर तसल्ली देकर पुनः उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री मुरारी लाल पुत्र श्री अंगदराम जाति मीणा उम्र 49 वर्ष निवासी रामपुरा तहसील व थाना रैणी जिला अलवर हाल हैड कानि 724 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर होना बताया। इस पर उक्त मुरारी लाल हैड कानि को परिवादी श्री हसन मौहम्मद से मांगी गई एवं आज उक्त मांग के क्रम में अभी ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो बताया की हसन मोहम्मद व इसके परिजनो के खिलाफ पुलिस थाना लक्ष्मणगढ में मुकदमा नम्बर 239/24 दर्ज है जिसकी तफ्तीश मेरे द्वारा की जा रही है। दिनांक 28.06.2024 को हसन मोहम्मद मेरे पास आया था और अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे के संबंध में मेरे से बातचीत की थी। मैने हसन मोहम्मद से किसी भी प्रकार की रिश्वत की मांग नही की थी। इसके बाद दिनांक 29.06.2024 को हसन मोहम्मद व श्री मंगल खां निवासी जमालपुर मेरे पास थाने पर आये थे, और हसन मोहम्मद ने मेरे से और श्री मंगल खां से अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में मुल्जिमों के नाम निकलाने के लिये बातचीत की थी। मैने हसन मोहम्मद को केस से मुल्जिम निकालने के लिये मना किया था और कहा था की मै वैसे ही तुम्हारा सहयोग कर दूंगा। मैने व मंगल खां ने हसन मोहम्मद से कोई रिश्वत राशी की मांग नही की थी। आज हसन मोहम्मद ने मुझे फोन कर मिलने के लिये पूछा था, तब मैने हसन मोहम्मद को जालूकी रोड पर स्थित मनीष अरोडा की अल्ट्रा ट्रेक सीमैट की दुकान पर मिलने के लिये कहा था। मै थाने से रवाना होकर उक्त दुकान पर पहुँचा तो कुछ समय बाद ही हसन मोहम्मद उक्त दुकान पर मेरे पास आया तथा अपनी केस बारे में बातचीत करते करते जबरदस्ती मेरी जीन्स की पेन्ट की दाहिनी जेंब में कुछ रूपये रख दिये मैने हसन मोहम्मद से ना तो कोई रिश्वत की मांग की और ना ही रिश्वत ली। इसने जबरदस्ती मेरी जेंब रख दिये। इसके बाद आप लोग हसन मोहम्मद से बात करते करते मेरे पास आये तो मुझे षक हो गया मैने कुर्सी से खडा होकर हसन मोहम्मद द्वारा रखे गये 500-500 के रूपयो को जेब से निकालकर फर्स पर गिरा दिये है और इतने मे ही आप लोगो ने मुझे पकड लिया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देषन में फर्स पर नीचे गिरे हुये 500-500 रूपयो के नोटो को गवाह श्री मनोज कुमार से उठवाकर गिनवाये गये तो तीस हजार रूपये होना बताया जिनको गवाह श्री मनोज कुमार के पास सुरक्षित रखवाया गया। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री हसन मोहम्मद से पूछा गया तो श्री हसन मोहम्मद ने बाताया की श्री मुरारी लाल हैड साहब झूठ बोल रहे है। मै अभी अभी आपके निर्देषानुसार एवं इनसे हुई वार्तानुसार उक्त दूकान पर पहूंचा, तो मुझे ये इस दुकान के बगल वाली गलेरी मे चारपाई पर बैठे हुये मिले मैने इनसे कहा साहब 40000/- हजार रूपये की व्यवस्था हुई है तो इन्होने मुझसे कहा इतने मे तो कैसे काम चलेगा इस पर मैने कहा साहब रूपये की व्यवस्था नही हो पा रही है, मै आपको 30000/- रूपये कल तक और दे जाउगा आप इनको तो लो। इस पर इनके द्वारा मुझसे रिश्वत के रूपये मांगने पर मैने अपनी जेब से 40000/- रूपये की रिश्वत राशी इनके कहे अनुसार निकालकर दी तो इन्होने उक्त रिश्वत राशी को अपने दाहिने हाथ से पकडकर बिना गिने ही अपनी पहनी हुई जीन्स की पैन्ट की दाहिनी जेब में रख लिये। मैने गिनने के लिये कहा तो इन्होने कहा की तुझ पर भरोसा है। इसके बाद इन्होने मुझसे कहा की आपके 10 मे से 6 लोगो के नाम निकाल देगे सभी महिलाओ के नाम निकाल देगे और रब्बा केस की मैन मुल्जिमा है, लेकिन हमे थाने पर रखने मे दिक्कत आयेगी, इसका नाम भी निकाल दूंगा। रब्बा की जगह किसको मुल्जिम बनाना है उसका नाम बता तब मैने कहा की मेरे बडे भाई खुर्शीद का नाम रख लो तो इन्होने मुझे कहा की ठीक है, अब आपके केस में तुम चारों भाइयों को मुल्जिम बनाउगा बाकी 6 लोगो के नाम केस से हटा दूंगा। इसके बाद बाहर आकर मैन आपको ईशारा कर दिया । इस पर आरोपी से पूछा गया की आप द्वारा अपनी पहनी हुई जीन्स की पैंट से ट्रेप पार्टी को देखकर रिश्वत राशी को फर्स पर नीचे गिराये रूपयो को अभी आपके सामने गिनवाया गया तो 30000/- रूपये ही होना पाया गया है जबकी परिवादी हसन मोहम्मद ने आपको 40000/- रूपये दिये है इस पर आरोपी ने बताया की साहब हडबडाहट में कुछ रूपये मेरी जेब मे ही रह गये है, जो अभी मेरी पेन्ट की जेब में ही रखे हैं इसके बाद मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी एवं परिवादी के समक्ष ही पुनः पूछा की आप जब परिवादी हसन मोहम्मद ने आपकी जेब में जबरदस्ती रूपये रखे तो आपने इसका विरोध क्यो नही किया इस पर आरोपी चुप रहा और कुछ नही बोला । इसके बाद गवाह मनोज से आरोपी के बताये अनुसार उसकी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाषी लिवाई गई तो गवाह ने उसमे 500-500 रूपये के कुछ नोट होना बताया जिनको

गवाह से बाहर निकलवाकर दोनो गवाहान से गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10000/- रूपये होना बताया । उक्त बरामद शुदा रिश्वत राशी को भी गवाह श्री मनोज कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने जालूकी रोड पर स्थित मनीषा अरोडा की अल्ट्रा ट्रेक सीमेंट की दुकान बाजार में होने के कारण एवं लोगो की अधिक भीडभाड एकत्रित होने एवं कार्यवाही के लिये उपयुक्त स्थान नही होने के कारण एवं व्यवधान के मध्य नजर उक्त आरोपी को सरकारी बोलरो मे बैठाकर मय स्टाफ एवं दोनो गवाहान के मय सरकारी व प्राईवेट वाहन से वहाँ से रवाना होकर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर में पहुंचे जहां पर थाना परिसर में दोनो वाहनो को खडा करवाया जाकर आरोपी को वाहन से उतारकर थाना परिसर में स्थित थानाधिकारी कक्ष में पहुंचा जहाँ पर श्रीराम मीणा पुलिस निरीक्षक उपस्थित मिले जिनको कार्यवाही से अवगत कराकर अग्रिम कार्यवाही हेतु मुरारी लाल हैड कानि. नं 724, परिवादी श्री हसन मौहम्मद व उपरोक्त दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम को उक्त कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्रीराम मीणा, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना लक्ष्मणगढ को आरोपी दलाल श्री मंगल खाँ निवासी जमालपुर, तहसील व थाना लक्ष्मणगढ को दस्तयाब कर मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पेश करने हेतु निर्देषित किया गया तथा श्रीराम मीणा, थानाधिकारी के साथ ए0सी0बी0 के श्री भास्कर हैड कानि0 59, श्री रामजीत कानि0 206 को जमालपुर के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात पुलिस थाने में रखी हुई पानी की टंकी से साफ पानी की बोतल भरवाकर श्री भास्कर हैड कानि. 59 से मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो नये साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उन्हे उक्त साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि 724 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीषीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R -1 R -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि. 724 के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गदमेला होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीषीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L -1 o L - 2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात आरोपी मुरारी लाल हैड कानि.द्वारा मौके पर अपनी जेब से निकालकर गिराई गई 30000/- रूपये रिश्वती राशी एवं आरोपी की पेन्ट से बरामद शुदा 10000/- रूपये की रिश्वती राशी जो मौके पर ही गवाह श्री मनोज कुमार के पास सुरक्षित रखवाई गई थी को निकलवाकर दोनो गवाहान से उक्त बरामदशुदा 500-500 रूपये नोटो की राशि को गिनने एंव नोटो की पहचान करने हेतु कहा गया तो गवाहान ने श्री मुरारी लाल हैड कानि की पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की दाहिनी जेब से बरामद शुदा 500-500 रूपये के नोटां एवं फर्स से बरामद शुदा 500-500 रूपये के सभी नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो को फर्दानुसार हुबहू 40000/- रूपये रिश्वती राशी के ही होना बताया। बरामद शुदा नोटो का विवरण फर्द बरामदगी में अंकित करवाया जाकर उक्त बरामद शुदा 40,000/- रूपये के नोटो के नम्बरो का उपरोक्त नम्बरो से पुनः दोनो गवाहान से मिलान करवाकर नोटो के साथ एक कागज की चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त हस्ताक्षरित चिट एवं नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे मे रखकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त रिश्वत राशि के लिफाफे को मार्क TM से चिन्हित एवं सीलचिट कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया। तत्पश्चात ट्रैप बाक्स मे से एक फ्रेश प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाया जाकर उसे साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त गिलास मे साफ पानी भरकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर उसका घोल तैयार करवाया गया एवं उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल के गिलास मे आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि के शरीर से षालीनतापूर्वक उतरवाई गई तथा उक्त पैन्ट की पिछली दाहिनी जेब से एक पर्स मिला एवं पेन्ट की बगल वाली बायी जेब से एक वीवो कम्पनी का मोबाईल मिला उक्त मोबाईल व पर्स को गवाह श्री मनोज कुमार के पास सुरक्षित रखवाया गया तथा जीन्स की पेन्ट बरंग नीला जिसके दाहिनी साईड की जेब से ट्रेंप पार्टी के समक्ष 30000/- रूपये की रिश्वत राशि आरोपी द्वारा फर्स पर गिराई गई थी एवं उक्त जेब से ही षेष 10000/-' रूपये की रिश्वत राशी बरामद हुई है। उक्त जेब को उलटवाकर उसको तैयार करवाये गये घोल के गिलास मे डूबो कर उसका धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे हाजरीन ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीषीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त पेन्ट की जेब को अच्छी तरह से पंखे की हवा मे सुखाकर उस जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक कपडे की थैली मे सुरक्षित रखवाकर उस थैली पर

नियमानुसार संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड कर मार्क P से चिन्हित कर वजह सबूत कब्जे लिया गया। तत्पश्चात परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो उसमे रिश्वत राशि लेन-देन के समय की वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई जिसकी अलग से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं डीवीडी तैयार करने की कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। परिवादी हसन मोहम्मद एवं आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि नं 724 को एक साथ करके आपस मे कोई रूपयो का पुराना उधार का लेन देन तो बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने के बारे में पूछा गया तो सभी ने आपसी रंजिश या रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने से स्पष्ट मना किया। आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 724 के कब्जे से परिवादी श्री हसन मोहम्मद एवं उसके परिजनों के विरूद्ध पुलिस थाना लक्ष्मणगढ में दर्ज प्रकरण संख्या 239/2024 धारा 143, 323, 341, 506, 354, 452, 379 भा0द0सं0 की पत्रावली की सत्यापित छायाप्रतियों को जरिये फर्द जब्त किया गया। कार्यवाही के दौरान श्रीराम मीणा पुलिस निरीक्षक मय ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य श्री भास्कर हैड कानि0 59, श्री रामजीत कानि0 206, आरोपी श्री मंगल खॉ पुत्र श्री दीना खॉ, जाति मेव, उम्र 56 साल, निवासी जमालपुर, तहसील व थाना लक्ष्मणागढ, जिला अलवर (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) को दस्तयाब कर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ पर लाकर मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पेश किये, जिससे कार्यवाही के दौरान आवष्यक पूछताछ की जाकर जाप्ता की निगरानी में बैठाया गया। तत्पश्चात समय 11.15 पी0एम0 पर आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 724, पुलिस थाना लक्ष्मणागढ, जिला अलवर एवं दिनांक 03.07.2024 को समय 12.40 ए0एम0 पर आरोपी श्री मंगल खॉ पुत्र श्री दीना खॉ, जाति मेव, उम्र 56 साल, निवासी जमालपुर, तहसील व थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) को हस्बकायदा जरिये फर्द पृथक-पृथक अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए एवं 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) के तहत गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारशुदा दोनों मुल्जिमान का ए0सी0बी0 जाब्ता की निगरानी में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। बाद कार्यवाही पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर से गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री मुरारी लाल हैड कानि0 724, श्री मंगल खॉ प्राईवेट व्यक्ति दलाल एवं दोनो गवाहान, परिवादी, ब्यूरो स्टाफ मय ट्रेप बॉक्स, जब्तषुदा रिश्वत राशी एवं जब्तशुदा समस्त आर्टिकल्स इत्यादि सहित दिनांक 03.07.2024 को समय 02.45 ए.एम. पर रवाना होकर घटना स्थल पर पहुंच कर धटना स्थल का मौका मुआयना कर नक्सा मौका तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गया। बाद नक्सा मौका की कार्यवाही के मौका लक्ष्मणगढ से मय हमराहियन के पुलिस थाना शिवाजी पार्क, अलवर पहुंचकर गिरफ्तारशुदा दोनों आरोपीगण को सुरक्षार्थ पुलिस थाना षिवाजी पार्क की हवालात में बन्द करवाकर समय 04.30 पी0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आया। ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर को कार्यालय में रखवाया गया तथा कार्यवाही में जब्त/सीलशुदा बजह सबूतों को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया, जिसको बाद कार्यवाही जमा मालखाना करवाया जावेगा। दोनों गवाहान एवं परिवादी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी। तत्पश्चात दिनांक 03.07.2024 को समय 05.00 ए0एम0 पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष परिवादी श्री हसन मोहम्मद एवं आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 724, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर के मध्य दिनांक 28.06.2024 को तथा परिवादी एवं आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 724, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर व श्री मंगल खॉ दलाल के मध्य 29.06.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट श्री रामजीत कानि0 206 से टाईप करवाकर तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री हसन मोहम्मद द्वारा अपनी आवाज की व आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 724, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर व श्री मंगल खॉ दलाल की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादी के बतायेनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की डीवीडी बनवाने हेतु तीन खाली डीवीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमषः तीनों डीवीडीयों पर मार्क "ए-1", मार्क "ए-2" एवं मार्क "ए-3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री हसन मोहम्मद के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क "ए-1" व मार्क "ए-2" को पृथक-पृथक प्लास्टिक के डीवीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे़ की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क "ए-1" व मार्क "ए-2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क "ए-3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. Sandisk 32 GB में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की जो डीवीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छाट नही की गई है। तत्पश्चात दिनांक 01.03.2027 को समय समय 01.30 पी0एम0 पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष परिवादी श्री हसन मोहम्मद एवं आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 724 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर के मध्य दिनांक 02.07.2024 को रिश्वत लेन-देन के क्रम में हुई मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत लेन-देन के समय हुई रूबरू वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा उक्त वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट श्री रामजीत कानि0 206 से टाईप करवाकर तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री हसन

मोहम्मद द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 724 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप का परिवादी के बतायेनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिपों से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। रिकार्ड वार्ता की डीवीडी बनवाने हेतु तीन खाली डीवीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमषः तीनों सीडीयों पर मार्क "बी-1", मार्क "बी-2" एवं मार्क "बी-3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री हसन मोहम्मद के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क "बी-1" व मार्क "बी-2" को पृथक-पृथक प्लास्टिक के डीवीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे़ की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क "बी-1" व मार्क "बी-2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क "बी-3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 28.06.2024 को परिवादी व आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 724 के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम हुई वार्ता एवं दिनांक 29.06.2024 को परिवादी व आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 724, श्री मंगल खॉ, दलाल के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता तथा फोल्डर नं0 2 में दिनांक 02.07.2024 को परिवादी व आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 724 के मध्य रिश्वत लेन-देन के क्रम में हुई मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत लेन-देन के समय हुई रूबरू वार्ताऐं रिकार्ड की हुई है। उक्त वार्ताओं के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उस, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो डीवीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। बाद कार्यवाही उपयोग ली गई ब्राससील को समय 04.00 पी0एम0 पर जरिये फर्द तुडवाकर नष्ट किया गया। जब्तशुदा समस्त आर्टिकल्स को श्री हरीष चन्द शर्मा कानि0 503 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। बाद कार्यवाही दिनांक 03.07.2024 को समय 04.30 पी0एम0 पर परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान से सम्बन्धित कोई कार्य शेष नही होने से परिवादी श्री हसन मोहम्मद एवं दोनों गवाहान को ब्यूरों कार्यालय से रूखसत किया गया। उक्तानुसार सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 724, पुलिस थाना लक्ष्मण्गढ, जिला अलवर द्वारा बैहसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने लोक कर्त्तव्यों के निर्वहन मे भ्रष्टतम आचरण अपनाकर मिलीभगत कर षडयंत्र पूवर्क एक राय होकर परिवादी श्री हसन मोहम्मद से पुलिस थाना लक्ष्मणगढ पर परिवादी एवं परिवादी के परिजनों के विरूद्ध श्री रहमुद्दीन निवासी दौलतपुरा द्वारा दिनांक 16.06.2024 को दर्ज करवाये गये मुकदमा नं0 239/2024 धारा 143, 323, 341, 506, 354, 452, 379 भा0द0सं0 में परिवादी पक्ष के 06 मुल्जिमों का नाम निकालने की एवज मे रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 28.06.2024 एवं 29.06.2024 को स्वयं द्वारा एवं अपने दलाल श्री मंगल खॉ, निवासी जमालपुर के माध्यम से एक पेटी (एक लाख) रूपये रिश्वत राशी की मांग करना तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही अपनी उक्त मांग के अनुशरण में दिनाक 02.07.2024 को श्री मुरारी लाल हैड कानि0 724 द्वारा परिवादी से 40,000/- रूपये रिश्वत के प्राप्त करने तथा आरोपी श्री मंगल खॉ पुत्र श्री दीना खॉ निवासी जमालपुर, तहसील व थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर प्राईवेट व्यक्ति दलाल द्वारा श्री मुरारी लाल हैड कानि0 724 की मौजूदगी में दिनांक 29.06.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री हसन मोहम्मद से एक पेटी (एक लाख) रू0 की रिश्वत राशी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 724 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर एवं स्वयं के लिये मांग करना तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 02.07.2024 को श्री मुरारीलाल हैड कानि0 724, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ द्वारा परिवादी से प्राप्तशुदा रिश्वत राशी 40 हजार रू0 श्री मुरारी लाल हैड कानि0 724 के कब्जे से बरामद होने से आरोपी श्री मुरारी लाल हैड कानि0 724, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला अलवर एवं श्री मंगल खॉ पुत्र श्री दीना खां, प्राईवेट व्यक्ति दलाल का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7,7ए एवं 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी (1) श्री मुरारी लाल पुत्र श्री अंगदराम, जाति मीणा, उम्र 49 साल, निवासी रामपुरा, तहसील व थाना रैणी, जिला अलवर हाल हैड कानि0 724, पुलिस थाना लक्ष्ण्मागढ, जिला अलवर एवं (2) श्री मंगल खॉ पुत्र श्री दीना खॉ, जाति मेव, उम्र 56 साल, निवासी जमालपुर, तहसील व थाना लक्ष्ण्मागढ, जिला अलवर (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है। (महेन्द्र कुमार) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम, अलवर। .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 7ए एवं 12

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्री मुरारी लाल पुत्र श्री अंगदराम निवासी रामपुरा, तहसील व थाना रेणी जिला अलवर हाल हैड कानि0 724 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर व 2. श्री मंगल खाँ पुत्र श्री दीना खाँ (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी जमालपुर तहसील व थाना लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री परमेश्वर लाल पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर -द्वितीय को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 640 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 683-86 दिनांक 04.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर। 2 जिला पुलिस अधीक्षक अलवर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर -प्रथम। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** PARAMESHWAR LAL YADAV **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/07/2024 19:5

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

5. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1975				
2	Male	1968				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)